न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 17/625

मृतक गोपाल उर्फ रामगोपाल के उत्तराधिकारी :-

1. राजाराम आत्मज रामगोपाल मीणा ।
2. हेमराज आत्मज रामगोपाल मीणा ।
3. मगन लाल आत्मज रामगोपाल मीणा ।
4. कुंज बिहारी आत्मज रामगोपाल मीणा निवासीगण ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

--अपीलान्ट

बनाम

1. नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा जिला राजसमन्द जरिये मुख्य निष्पादन अधिकारी टेम्पल बोर्ड जरिये मुख्तार आम महेश चन्द आत्मज मदन लाल जाति ब्राह्मण निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

--रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :- 1. श्री हेमन्त कृष्ण विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 14.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा- 2017 कोटा जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद वास्ते घोषणा व बेदखली हेतु ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा के पूर्व के खसरा नम्बर 38 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा व अन्य भूमि माफी खुदकाश्तमें थी के बन्दोबस्त में उक्त वर्णित भूमि के नये खसरा नम्बर 172 की 16 बीघा 09 बिस्वा के सम्बन्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 434 की 1.32 हैक्टर का मूर्ति श्रीनाथ जी को खातेदार

कृषक घोषित करने की डिक्री वादी के पक्ष में व प्रतिवादी क्रम 1 से 3 के विरूद्ध पारित की जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 3 को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.07.2017 को पटवारी जी से तलाश करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय लोक अदालत की भावना के विरूद्ध पारित किया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण सेटलमेंट की गलती का प्रकरण नहीं था सेटलमेंट से सम्बन्धि दस्तावेज भी पेश नहीं थे । प्रकरण राजस्थान लैण्ड रिफोर्म एवं रिजम्बशन एक्ट के तहत था जिसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए था। उक्त भूमि पर अपीलान्ट पिछले 70 वर्षों से पिछली 2 पीढियों से अधिक समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त वाद मूर्ति की ओर से नहीं है अधिनियम के तहत कठित बोर्ड के द्वारा वाद किया है बोर्ड विधिक व्यक्ति है जिससे प्रकरण में बोर्ड के लिए एवं मूर्ति के हित पृथक–पृथक हैं, मूर्ति प्रकरण में पक्षकार नहीं है यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि बोर्ड को बाद पेश करने का अधिकार नहीं था । शाश्वत नाबालिग द्वारा वाद पेश नहीं किया है जिससे शाश्वत नाबालिग का तर्क चलने योग्य नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि पदनाम व्यक्ति यथा मुख्य निष्पादन अधिकारी अपने कार्य के लिए मुख्तारआम नियुक्त नहीं कर सकता, बोर्ड चाहे तो किसी को अधिकृत करे । प्रकरण में मुख्तारआम ने वाद पेश किया था जिससे भी वाद खारिज होने योग्य था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है उक्त भूमि सेटलमेंट पूर्व माफी मंदिर श्रीनाथ जी विराजमान नाथद्वारा के खाते दर्ज थी उक्त भूमि में दौराने सेटलमेंट उपकृषक के खाते दर्ज कर दिये जाने के कारण वादी रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा था जिससे बेदखली का अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि मंदिर मूर्ति की भूमि जो शास्वत नाबालिग है और नाबालिग व्यक्ति किसी से भी खेती करवा सकता है परन्तु उससे खेती करने वाले व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनिय का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी मंदिर मूर्ति की भूमि है और मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त की भूमि की खातेदारी किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में नहीं दी जा सकती चाहे उसका कब्जा कितना भी पुराना क्यों न हो और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय भी यदि कब्जा *हो तो भी उसे खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । जब तक मंदिर की सहमति हो मंदिर* की ओर से उस व्यक्ति को काश्त करने की अनुमति हो सकती है यदि मंदिर मूर्ति कब्जेधारी व्यक्ति को काश्त करने की अनुमति नहीं दे तो उस दिन से ही उस कब्जेधारी व्यक्ति को अतिक्रमी माना जावेगा और अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली का अधिकारी माना जावेगा । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिकी

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/625

मृतक गोपाल उर्फ रामगोपाल के उत्तराधिकारी :–

1. राजाराम आत्मज रामगोपाल मीणा ।
2. हेमराज आत्मज रामगोपाल मीणा ।
3. मगन लाल आत्मज रामगोपाल मीणा ।
4. कुंज बिहारी आत्मज रामगोपाल मीणा निवासीगण ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा जिला राजसमन्द जरिये मुख्य निष्पादन अधिकारी टेम्पल बोर्ड जरिये मुख्तार आम महेश चन्द आत्मज मदन लाल जाति ब्राह्मण निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.06.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 06 ए/दावा/2016

नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा जिला राजसमन्द जरिये मुख्य निष्पादन अधिकारी टेम्पल बोर्ड जरिये मुख्तार आम महेश चन्द आत्मज मदन लाल जाति ब्राह्मण निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द ।

—–वादी

बनाम

1. राजाराम आत्मज रामगोपाल मीणा ।
2. हेमराज आत्मज रामगोपाल मीणा ।
3. मगन लाल आत्मज रामगोपाल मीणा ।
4. कुंज बिहारी आत्मज रामगोपाल मीणा निवासीगण ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

—–प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.03.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री हेमन्त कृष्ण विजयवर्गीय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 14.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा